संख्या-749/2026/94NGT/26-27-सिं0-4-CN-1835553

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0, शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक 22 जुलाई, 2026**

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं0-402/2024, घिर्राऊ लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के अनुपालन में टेढ़ी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं0-402/2024, घिर्राऊ लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 एवं अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या-628/अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक 01.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टेढ़ी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमाकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं0-402/2024, घिर्राऊ लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में टेढ़ी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमांकन किये जाने हेतु आदेश दिए गए है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 18.10.2024 को पारित आदेश निम्नवत है:-

"1. Issue in this matter is with regard to encroachment of flood plain area which would first require determination/demarcation of 'flood plain zone' of concerned River.

2. It appears that District Magistrate has proceeded to put pillars at a distance of 50 mtrs without demarcation of flood plain zone which is not in accordance with law. River Tedhi meets River Saryu which ultimately meets River Ganga and

shasanadesh.up.gov.in

therefore, River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 is applicable and flood plain zone has to be demarcated in manner stated in said order. Since river in question ultimately a tributary of River Ganga, River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 is applicable to River Ganga and all its tributaries.

3. Above aspect was considered by Tribunal on 19.09.2024 when Sh. B.P.S Jadon, Advocate appearing for respondents 1, 2, 4 and 5 sought time to place on record affidavit of District Magistrate with regard to demarcation and identification of floodplain area of river in question.

4. Pursuant to order dated 19.09.2024, District Magistrate, Gonda has filed affidavit dated 16.10.2024. It is stated that Tedhi River originates from Chitaurah Lake located at latitude 27.538831 and longitude 81.641290 in district Baraich. It traverses through districts of Baraich and Gonda, flowing in a south-eastern direction and ultimately merges with Ghagra River near Village Lolpur situated in development block Vikramjot of district Basti. Estimated total length of Tedhi river is about 230 Kms.

5. Learned counsel Sh. B.P.S Jadon appearing for State also could not dispute during course of arguments that, River Ghagra ultimately merges with River Ganga and therefore river Tedhi for all purposes is a tributary of River Ganga attracting provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authority's Order 2016.

6. Affidavit of District Magistrate further states that an estimated High Flood Level Flood Zone Map covering an area of 5 km on both sides of river was prepared by conducting 3D contouring using modern techniques including, Shuttle Radar Topography Mission; Arc-GIS and Google Earth.

7. Executive Engineer, Saryu Drainage Division 1 Gonda sent a letter dated 26.09.2024 to Director, U.P Geo Spatial, Directorate, Gomtinagar with a request to make survey of River Tedhi and provide a map with 1 mtr contour interval along with performa bill for survey work. U.P Geo Spatial, 3 Directorate expressed need to mark entire river on Google Earth up to 500 meters on both sides in KML/KMZ. Required information was provided vide email dated 07.10.2024. Further a request has been made by Executive Engineer, Saryu Division with Chief Engineer, Information System organization Irrigation and Water Resources Department, U.P Lucknow to provide necessary data for floodplain mapping including remote sensing images of catchment area and an inundation map. It is said that this information has been received and analysis of data is in progress. However, for identification and demarcation of floodplain zone, it is said that National Institute of Hydrology, Roorkee, State of Uttarakhand has been hired to provide and entire process of demarcation will take seven months.

shasanadesh.up.gov.in

8. In our view, request for 7 months is unreasonable and shows a lethargic attitude on the part of Authorities. When basic data has already been collected, in our view, remaining work can be completed within less than half of time requested by Authorities concerned.

9. In the circumstances, we direct District Magistrate, Gonda to ensure demarcation and identification of flood plain zone of River Tedhi by 15.01.2025 and submit a compliance report by 17.01.2025.

10. We are also aware that complaint is about illegal encroachment and construction in prohibited area i.e. on side of river bank of River Tedhi. Taking advantage of situation, construction activities, if allowed to continue may create further complications in the matter, even after demarcation and identification of flood plain zone.

11. To obviate any such contingency, we direct that until further orders, no construction activities shall be allowed within 200 meters of High Flood Level from middle of river and this order shall be ensured and complied with by District Magistrate, Gonda.

3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के अनुपालन में कार्यालय, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार टेढ़ी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपद में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना हैः-

क्रमांक	**जनपद**	**Latitude & Longitude**
1.	बहराइच, गोण्डा	Annexure-1

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० सं0-402/2024, घिर्राऊ लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के अनुपालन में टेढ़ी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद बहराइच एवं गोण्डा में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी., मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता (सरयू-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.gov.in